राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 532/2012/बीकानेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर ....अपीलार्थी

बनाम

मै0 अनूपाराम गोदारा गांव नगरासर,
श्री कोलायत, बीकानेर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 31/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 212/आरवेट/बीकानेर/11–12 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध अधिनियम 2003 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील को आंशिक स्वीकार किया है। कर बोर्ड के समक्ष यह अपील विभाग द्वारा अधिनियम 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विचाराधीन प्रकरण में व्यवहारी ने आलौच्य अवधि 2006–07 में कुल रूपये 8,86,32,746/– रूपये का कार्य संविदा के तहत किया जिसमें से 7,13,61,730/– रूपये के कार्य के पेटे 1.5 प्रतिशत की दर से EC (Exemption Certificate) प्राप्त कर TDS में जमा करवाया तथा शेष कार्य राशि रूपये 1,72,70,746/– Non EC के तहत संपादित हुआ। कर निर्धारण अधिकारी ने Non EC के तहत संपादित कार्य राशि रूपये 1,72,70,746/– पर करारोपण किया जिसमें से Non EC वर्क्स में राशि रूपये 46,83,000/– के डामर पर 4 प्रतिशत की दर से किये गये करारोपण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी ने आंशिक स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी ने यह माना है कि करारोपण से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई विशिष्ट कारण बताओ नोटिस जारी नही किया व न ही वर्क ऑर्डर एवं

लगातार.....2

"जी शेडयूल" की जांच की गई है जबकि जांच करने के उपरान्त इसमें से वास्तविक रूप से प्रयुक्त होने वाले मैटेरियल के आधार पर विशिष्ट कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद करारोपण किया जाना चाहिए था व कर निर्धारण अधिकारी ने मात्र अनुमान के आधार पर करारोपण किया है जो अत्याधिक है। अपीलीय अधिकारी ने राशि रूपये 20,00,000/– के डामर की अपंजीकृत खरीद पर 4 प्रतिशत की दर से आरोपित कर राशि रूपये 80,000/– एवं इस पर आरोपित ब्याज को अपास्त किया है तथा शेष राशि रूपये 26,83,000/– पर 4 प्रतिशत की दर से आरोपित कर राशि रूपये 1,07,320/– को यथावत रखा है। राजस्व की ओर से यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि कर निर्धारण अधिकारी ने "जी शेडयूल" उपलब्ध नही कराने व वैट–10 तथा ऑडिट रिपोर्ट में आउटपुट टैक्स की गणना नही करने के कारण करारोपण किया है जो विधिसम्मत नही है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में इस संबंध में नोटिस जारी करने का कोई उल्लेख नही है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लेखों के आधार पर कार्य सविंदा में प्रयुक्त मैटेरियल का आंकलन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवेकशील एवं तर्क संगत आधार पर किया जा सकता था। अपीलीय अधिकारी ने समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील आंशिक स्वीकार की है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती।

3. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

4. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य